मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2016 (श्रावण 5, 1938)

समय 11.00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री मोहम्मद गनी अंसारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) श्री गुलाबचन्द अग्रवाल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, तथा
(3) श्री सैयद हैदर रजा, सुप्रसिद्ध चित्रकार.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, स्थानीय निकाय, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार का वर्ष 2016 प्रतिवेदन संख्या-4 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 13 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, -

(क) महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 (01 जुलाई, 2014 से 30 जून, 2015 तक), तथा

(ख) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 (01 जुलाई, 2014 से 30 जून, 2015 को समाप्त वर्ष का)
पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों में एंटी **स्नेक** वेनम इंजेक्शन उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य, मुरैना में शासकीय कर्मियों द्वारा जनप्रतिनिधि व नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री गिरीश गौतम, सभापति, प्राक्कलन समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्रीमती रंजना बघेल, सभापति, पटल पर रखे गए पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति के द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) प्रस्तुत करेंगी.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन जिले के उज्जैन-इन्दौर फोरलेन यातायात सिग्नल तुरन्त बनाये जाने,
(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम ढोढ़र हायर सेकेण्ड्री स्कूल में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के विषय की पढ़ाई शुरू कराये जाने,
(3) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले की सुनार नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने ,
(4) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम अप्तरा से ग्राम मुजावर तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
(5) कुँवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम सूखा से सिहुडी तक पहुँच मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(6) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम सिकरी के मिडिल स्कूल का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(7) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के धनपुरी के पास देशी शराब की दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने,
(8) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के सोन भद्रिका नदी पर रपटा बनाये जाने,
(9) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम हाटा में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,
(10) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम पंचायत कर्रापुरा में आई.टी.आई. कालेज खोले जाने,
(11) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर-मालवा जिले के सोयतकलां में स्नातक महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने ,
(12) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के भौरझिर के शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने ,
(13) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम तुरगा से भाइटोला को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़े जाने,
(14) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम पंचायत बोरदियाकलाँ में स्कूल भवन बनाये जाने,
(15) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के भगवानपुरा में 2 कोर्स (ट्रेड) छात्राओं हेतु आई.टी.आई को प्रारंभ किये जाने,

(16) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम सेमलिया हीरा में सोमली नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(17) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के इछावर नगर पंचायत को नई फायर ब्रिगेड मशीन उपलब्ध किये जाने,
(18) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के भीकनगांव हेतु तालाबों के प्रस्ताव स्वीकृत कर निर्माण कार्य तुरन्त प्रारंभ किये जाने,
(19) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम बड़खेरा के बुड़नईया नाले पर ब्रिज का निर्माण किये जाने,
(20) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम भर्रा एवं पेड़ा के बीच स्टापडेम कम- रपटा बनाये जाने,
(21) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा चौपाटी पर ट्रेफिक सिग्नल प्रारंभ किये जाने,
(22) श्री मथुरालाल, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम सरवड़ की मा. शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(23) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम मुड़िया मड़ोच में हायर सेकेण्ड्री स्कूल की स्थापना किये जाने,
(24) श्री महेश राय, सदस्य, बीना जिले के ग्राम देहरी एवं पथरिया जेगन हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(25) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम मण्डावल एवं ग्राम खारवाकला में हायर सेकेण्ड्री विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने,
(26) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के ग्राम उदयपुर नदी पर स्टापडेम कम बड़ा पुल निर्माण किये जाने,
(27) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले के पानसेमल में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह वेतन भुगतान किये जाने,
(28) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम हटा में हाईस्कूल भवन का निर्माण कराये जाने,
(29) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के विठ्ठलनगर वार्ड में अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनांतर्गत निर्माणाधीन मंगल भवन के शेष निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने,
(30) श्री मुकेश पण्ड्या, सदस्य, उज्जैन जिले के बड़नगर में सड़कों का सुधार किये जाने,
(31) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम बीसावाड़ी से पटरा मार्ग रेगा नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(32) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम हांसरोद के शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय में रिक्त पदों की पूर्ति कराये जाने,
(33) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले की तहसील विजयपुर के शा.मा.वि. अर्रोद को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(34) श्री गिरीश भंडारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम गाडरिया खेड़ी में स्टॉपडेम का निर्माण किये जाने,
(35) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम सगुनिया में विद्युत प्रदाय एवं पोल लगाये जाने,
(36) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, अशोक नगर जिले के ग्राम पंचायत रादूली में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किये जाने,
(37) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत सतरई बड़ेरा की मा. शाला का उन्नयन हाईस्कूल में किये जाने,
(38) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम भूरिया खजुरिया में नवीन 33/11 के. व्ही. विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,
(39) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम पंचायत बावड़ीखेड़ा में हाईस्कूल संचालित करने हेतु भवन स्वीकृत कर निर्माण किये जाने,
(40) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के पडरा पैपखरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(41) श्री संदीप जायसवाल, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम जुहला-देवराखुर्द के मुख्य मार्ग से नया मुहल्ला, जुगियाकाप तक सड़क निर्माण किये जाने,
(42) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम गुल्लास से जलोदा तक मार्ग बनाये जाने,
(43) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के जनपद पंचायत परसवाड़ा में नहरा नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
(44) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले के मनगवां के विद्यालय को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(45) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के तरंगी,वगदरा, बैरदह में चीर घर बनाये जाने,
(46) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम रानीपिपरिया से झगरहाई को जोड़ने वाली कच्ची सड़क को बनाये जाने,
(47) श्रीमती अनीता नायक, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम बंधा थाना मोहनगढ़ में पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. वक्तव्य

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री, नेशनल ऑप्टिकल फाईबर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के भूमिगत ऑप्टिकल फाईवर केवल लाईन के प्रकरणों को पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से मुक्त रखने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री, मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम के संबंध में वक्तव्य देंगे.

8. वर्ष 2006-2007 एवं वर्ष 2009-2010 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2006-2007 एवं वर्ष 2009-2010 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन करेंगे.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सूचना पर चर्चा

हाल ही में प्रदेश के अनेक जिलों में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

11. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन विषय की सूचना पर चर्चा

निर्धारित समय 45 मि.

प्रदेश में संचालित अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा मनमाने तरीके से फीस व अन्य शुल्क वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 26 जुलाई, 2016